

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2019

जयपुर, दिनांक : 03.09.2019

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.08.2019 के द्वारा डा. रामपाल मिर्धा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के पद से आदेशों की प्रतीक्षा में किये गये आदेश को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहारित/निरस्त किया जाता है। फलस्वरूप डा. मिर्धा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के पद पर कार्य करेंगे।


राज्यपाल की आज्ञा से,



(संजय कुमार)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय अ.शा. पत्र क्रमांक स्पे.1 की पालना में सूचनार्थ।
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्यमंत्री, महोदय
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प. क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
7. संबंधित अधिकारी।
8. कम्प्यूटर सेल/ निजी /रक्षित पत्रावली।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करावें।



शासन उप सचिव